निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 13/2025
दायरा दिनांकः—12.02.2025
निर्णय दिनांकः— 18-3-25

उनवान

1. आमीर खान पुत्र अजीज खान आयु 32 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ग्राम जैपला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. अब्दुल अजीज पुत्र हलीम आयु 52 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ग्राम जैपला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये पटवारी जैपला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 18-3-25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री दौलतराम मीना— प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम जैपला तहसील छबड़ा में खाता संख्या 380 भूमि खसरा नं. 138/1 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खसरा नं. 149 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, खसरा नं. 2 रकबा 1.8464 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.2131 हैक्टेयर इसी प्रकार खाता संख्या 365 भूमि खसरा नंबर 204/672 रकबा 0.2656 हैक्टेयर, खसरा नं. 5/671 रकबा 6.0576 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 6.3232 हैक्टेयर पैतृक कृषि आराजीयात स्थित है जिसमें प्रार्थी के पिता का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित भूमियात में प्रार्थी का नाम खातेदारी में नहीं है परन्तु बाप दादाओ से उक्त आराजी जर्ये फौती नामांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होकर परिवार मे प्राप्त होती आ रही है। इसलिए प्रार्थी के पिता के नाम जो उक्त वर्णित आराजी में स्थित हिस्सा जो दर्ज है उसमें प्रार्थी का भी जन्म से ही हक स्वामित्व व हिस्सा उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्वतः ही निर्धारित होता है ओर पिता के जीवनकाल में पैतृक आराजी में पुत्रों को अपना हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपने नाम दर्ज कराने के वैद्यानिक अधिकार होते है। प्रार्थी का पिता सम्पूर्ण पैतृक आराजी को बेचान करके प्रार्थी को प्रार्थी का हिस्सा नहीं देना चाहता है, प्रार्थी से बेईमानी करना चाहता है समस्त पैसा प्राप्त करके गलत कामो में खर्च करता है ऐसे कर्म करता है

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रकिो प्रार्थना पत्र में पिता के विरूद्ध अंकित नहीं कराया जा सकता है। प्रार्थी को उसके राजस्व हक ओर अधिकारों से वंचित करने का अप्रार्थी प्रयास कर रहा है ओर दिनांक 01.02.2025 को बेचान देने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थना पत्र हेतुक उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी अपने पिता से मात्र अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहत है ओर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर बाप दादाओं की उक्त वर्णित कृषि आराजी को बचाना चाहता है ओर अपना हिस्सा सुरक्षित करना चाहता है। यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश नहीं करता है ओर प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जाता है तो प्रार्थी का पिता अप्रार्थी नंबर 01 सम्पूर्ण आराजी को बेचान कर देगा और प्रार्थी के बाल बच्चे भूखे मर जायेगे। उक्त कृषि आराजी पेट पालन का जरिया है। प्रार्थी उक्त वर्णित आराजी में अपना हिस्सा घोषित करवाकर अपने नाम अपना हिस्सा खातेदारी में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका प्रार्थी अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के सम्मन वाद तामील प्राप्त। बावजूद सुचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 380 नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 365 नकल परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड आमीर खान पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम जैपला तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी के पिता का हिस्सा दर्ज चला आ रहा है परन्तु प्रार्थी का नाम खातेदारी में नही है उक्त आराजी पीढी दर पीढी परिवार में दर्ज चली आ रही है प्रार्थी के पिता के हिस्से की आराजी में प्रार्थी का जन्म से ही हक अधिकार है पिता के जीवनकाल में पुत्र पैत्रक आराजी में से अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है प्रार्थी का पिता अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी का बेचान करना चाहता है प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजी का बेचान करना चाहता है प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि देना नही चाहता है प्रार्थी अपने पिता से अपने हिस्से की आराजी प्राप्त करना चाहता है परन्तु प्रार्थी का पिता उक्त आराजी को बेचान करना चाहता है यदि प्रार्थी के पिता द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी का बेचान कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 380 के अनुसार अब्दुल अजीज नपुत्र हलीम हिस्सा 3/10 नदीम, नहीम, का हिस्सा 3/10– 3/10 बदरून्निशा, रीजवाना सुल्ताना का हिस्सा 1/3 – 1/3 हिस्सा दर्ज है इसी प्रकार नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 365 में 7 सहखातेदार है जिसमें अब्दुल अजीज का 3/20 हिस्सा दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी में अप्रार्थी क्रम 1 सहखातेदार कृषक है। प्रार्थी द्वारा भूमि में अपने अधिकार साबित करने के लिए, उत्तराधिकार अधिनियम के तहत

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...ा: ही हिस्सा निर्धारित होता है वर्णित किया गया है प्रार्थी द्वारा जाति मुसलमान निवासी ग्राम जैपला अंकित किया गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा ना तो यह साबित किया गया है कि कौनसे उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी अनुतोष पाने का हकदार है तथा कौनसे अधिनियम के तहत विवादित आराजी में हिस्सा पाने का अधिकारी है। उपरोक्त के अभाव में चाहा गया अनुतोष दिया जाना सम्भव नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा